कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

Email- Nodalofficerddn@gmail.comPhone/Fax-2767611

पत्रांकः–1138 / FP/UK/ MIN/149754/ 2021 दिनाँकः देहरादून 31 अक्टूबर, 2022

सेवा में,

वन महानिरीक्षक (एफ0सी0),
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, अलीगंज,
नई दिल्ली– पिन– 110003।

विषयः–**Renewal of diversion of forest land of 1497 ha of forest land in favour of Uttarakhand Forest Development Corporation, Mining Division, Haldwani for collection of Minor Minerals from Gaula River in Haldwani and Terai East Forest Divisions, District Nainital (Uttarakhand) (Online proposal no. FP/UK/MIN/149754/2021) – reg. I**

सन्दर्भः–भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन नई दिल्ली की पत्र संख्या 8-61/1999-FC(Pt.IV) दिनांक–12.05.2022।

महोदय,

विषयांकित प्रकरण पर भारत सरकार के उपरोक्त सन्दर्भित ई0डी0एस0 दिनांक 12.05.2022 के अनुपालन में वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी के पत्रांक 249/12–1 दिनांक 18.08.2022 एवं पत्र दिनांक 15.10.2022 **(प्रति संलग्न)** के द्वारा प्रेषित वांछित सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी है, जो कि निम्नानुसार संलग्न कर प्रेषित की जा रही है :–

आपत्ति	उत्तरालेख
i. Detail of compensatory afforestation, in lieu of approval accorded for 1497 ha of forest land, undertaken in the past, its survival percentage, year wise detail of expenditure proposed and incurred needs to be submitted by the State along with soft copies of KML/shape files of all sites.	वन संरक्षक एवं प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा उपलब्ध कराया गया क्षतिपूरक वृक्षारोपण का विवरण एवं के0एम0एल0 फाईल की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। **(संलग्नक–01)**
ii. KML/Shape files of the area proposed for diversion as well as area used for raising compensatory afforestation have not been submitted. The same needs to be submitted to enable in-depth analysis of the proposal using DSS tools.	वन संरक्षक एवं प्रभागीय वनाधिकारी के उक्त सन्दर्भित पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि KML/Shape files यथा स्थान अपलोड़ कर दी गयी है।
iii. Proposed land falls within the Shivalik Elephant Reserve and as the substantial extent of river stretch has been proposed for mining, comments of PCCF (Wildlife) And CWLW on the likely impact of the project on wildlife in general and Elephant in particular may be obtained by the State and the same may be intimated to the Ministry	वन संरक्षक एवं प्रभागीय वनाधिकारी के उक्त सन्दर्भित पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि सम्बन्धित प्रमाण पत्र ऑनलाईन पोर्टल पर भाग–2 के पैरा–13 में अतिरिक्त सूचना में अपलोड़ कर दिया गया है। **(संलग्नक–02)**
iv. Geology and Mining Unit, Directorate of Industry, Government of Uttara hand vide their letter dated 31.05.2021 approved the Mining Scheme for the balance period of lease granted by the State vide order dated 24.01.2013. State Government vide ibid order dated 24.01.2013 had granted the lease for a period of 10 years which is likely to be expired on 23.01.2023. Further, examination of the Mining scheme revealed the following:	

आपत्ति	उत्तरालेख
vii. Estimation of cost benefit ratio has not been provided in the proposal. The same needs to be estimated by accounting all parameters specified in the Guidelines dated 1.08.2017 issued by the Ministry, incorporated at Annexure –III of Handbook of Forest (Conservation) Act, 1980.	वन संरक्षक के उक्त पत्र दिनांक 13.10.2022 द्वारा प्रेषित लागत लाभ से सम्बन्धित प्रमाण पत्र/प्रपत्र संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। (संलग्नक–05)
viii. As per Supreme Court order dated 28.03.2008, revenue earned from the sale of RBM should be utilized for conservation work. Detail of amount earmarked and incurred on conservation may be provided on annual basis for the last decade.	वन संरक्षक के उक्त पत्र दिनांक 18.08.2022 के माध्यम से RBM की बिक्री से अर्जित राजस्व का विगत वर्षों का विवरण से सम्बन्धित तालिका की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है, जिसकी प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। (संलग्नक–06)
ix. Status of SPV made for the purpose of collection of revenue earned and used for SMC and other conservation works may also be provided.	अवगत कराया गया है कि सम्बन्धित सूचना संलग्नक–06 के अनुसार ही है।

अतः वन संरक्षक/प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रेषित प्रतिउत्तर के क्रम में प्रश्नगत प्रकरण पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत यथोचित कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोपरि।

(सी.डी. संलग्न)

भवदीय,

(एस0एस0 रसाईली)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं
नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,

संख्या / FP/UK/ MIN/149754/ 2021 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवकश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी के पत्रांक 249/12–1 दिनांक 18.08.2022 एवं पत्र दिनांक 15.10.2022 के क्रम में।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी।
3. प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, खनन गोला, हल्द्वानी प्रभाग, हल्द्वानी।

31/10/22

(एस0एस0 रसाईली)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं
नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,